FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

रामकंवार बनाम कैलाश

रस मुकद्दमा प्रार्थना पत्र 212 नं० 157 सन् 16-8-2019

रख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	16.8.19 आज यह प्रकरण मुख्य तौर के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हुआ। वकील वादी एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेज अवलोकन व बहस प्रार्थी वकील से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी धारा 83, 34C, 84, 97, 345 वाई ग्राम कोलीवास तह. नीमराना जिला-अलवर (राज.) के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में कोई भी उज्र हो तो एक सप्ताह में आपत्ति हाजिर कर सकते हैं। अन्यथा अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण नोटिस तलब हो। प्रकरण वास्ते बहस दिनांक 19.9.19 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20-6-22	आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है, विपक्षी अनुपस्थित पाये गये। पत्रावली जवाब विपक्षी के पेश हेतु 28-8-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना अलवर

रामकुमार

19.7.22

19.7.22 आज यह प्रार्थना प्रार्थी वकील के प्रार्थना पर तलब होकर पेश हुआ। प्रार्थना में निवेदन किया है कि प्रार्थना स्वीकृति किया जाकर प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना जाया स्वीकार किया। प्रार्थना प्रार्थी द्वारा नोट शीट करने पर प्रार्थी का प्रार्थना 212 BNSS नोट शीट में स्वीकृति किया जाता है। पक्षकार सिवाय हुक्मनामा होकर मजबूत के भाग को बाद पार्टी संलग्न मूल बांड देवे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली अनुसार अग्रिम कार्यवाही को पेश हो।